भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 648
दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल संकट

648. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रहीः
डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में वर्षा जल संचयन में वृद्धि करने और जल संकट का प्रबंधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;
(ख) जल जीवन मिशन की स्थिति क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घरों में नल का जल उपलब्ध कराया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत आबंटित निधियों और निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस गांवों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) नमामि गंगे कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति, उठाए गए कदमों, शुरू की गई परियोजनाओं, अनुमोदित और जारी की गई निधियों के साथ-साथ गंगा नदी के पुनरुद्धार हेतु जैव विविधता संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) जल राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश में जल संकट को कम करने और जल की कमी को दूर करने के लिए जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

i. भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) नामक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं।

ii. 15वें वित्त आयोग से सशर्त अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन के लिए किया जा सकता है।

iii. जल शक्ति मंत्रालय वार्षिक आधार पर 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रहा है। चालू वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 को लागू कर रहा है, जो जेएसए की श्रृंखला में 5वें स्थान पर है। जेएसए: सीटीआर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों जैसे मनरेगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीकरण और बहाली घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि आदि का सामंजस्य है। अभियान के तहत किए गए प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक में छत और जल संचयन संरचनाओं सहित निर्माण तथा मरम्मत या वर्षा जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं।

iv. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 में तेज वर्षा में जल नालियों के माध्यम से जल निकाय में वर्षा जल संचयन (जिसमें सीवेज/गंदा जल प्रवाहित नहीं हो रहा है) के लिए प्रावधान है। 'जलभृत प्रबंधन योजना' तैयार करके शहर अपनी सीमाओं के भीतर वर्षा जल संचयन में सुधार के लिए रोडमैप विकसित करके भूजल पुनर्भरण संवर्धन की रणनीति बनाने का लक्ष्य रखते हैं। आईईसी अभियान के माध्यम से, वर्षा जल संचयन जैसी जल संरक्षण परिपाटियों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाता है।

v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ दिल्ली के एकीकृत भवन उप-नियम (यूबीबीएल), 2016, मॉडल भवन उप विधि (एमबीबीएल), 2016 तथा शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 जैसे स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने हेतु राज्यों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

vi. भारत सरकार 01.04.2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 7 राज्यों अर्थात हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में 8,213 जल की कमी वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) में अटल भूजल योजना लागू कर रही है। यह योजना भूजल विकास से भूजल प्रबंधन तक एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।

vii. भारत सरकार "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना, स्थायी जल संरक्षण परिपाटियों आदि को शुरू करना है। पीएमकेएसवाई के तीन घटक/योजनाएं हैं, जिनमें हर खेत को पानी (एचकेकेपी), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली (आरआरआर) योजना तथा सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना शामिल हैं।

viii. जल शक्ति मंत्रालय ने देश में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में सुधार को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधा के रूप

में कार्य करने के लिए 20.10.2022 को राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना की है।

ix. मिशन अमृत सरोवर को हाल के दिनों में देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण/नवीकरण के प्रावधानों के साथ लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य जल संचयन और संरक्षण करना था।

x. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे मैप करने योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है जिसे कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

xi. सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 भी तैयार किया है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करते हुए एक वृहत स्तरीय योजना है। मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसूनी वर्षा का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का प्रावधान है।

xii. सीजीडब्ल्यूबी ने भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अंतर्गत प्रदर्शनात्मक उद्देश्य के लिए देश में कई सफल कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं भी कार्यान्वित की हैं जो राज्य सरकारों को उपयुक्त जल-भूवैज्ञानिक स्थितियों में इनकी पुनरावृत्ति में सक्षम बनाती हैं।

xiii. जल संसाधन विभाग, आरडी एंड जीआर द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन किया गया है तथा वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

xiv. भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) देश में वर्षा आधारित और निम्नीकृत भूमि के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक को लागू करता है। इन कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ रिज क्षेत्र शोधन, जल निकासी लाइन निरूपण, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, चारागाह विकास, परिसंपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई इन हस्तक्षेत्रों के माध्यम से उन्नत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के जरिए स्थायी विकास तथा जलवायु परिवर्तन के लिए किसानों के लिए बेहतर सुविधा को सुनिश्चित करता है।

xv. ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं संस्थापित करने के कार्यकलाप को पंचायतों के लिए पंचायत विकास योजना (पीडीपी) में शामिल किया गया है ताकि वे XVवें वित्त आयोग (एफसी) निधियों अथवा उनके पास उपलब्ध किन्हीं अन्य निधियों से निष्पादन के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इनका चयन कर सकें। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय

ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित स्कीम भी पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), अधिकारियों और अन्य हितधारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

(ख) देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सक्षम बनाने के लिए, अगस्त 2019 से नल जल कनेक्शन के माध्यम से, नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल लागू कर रही है। आज तक, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल के दायरे में लाए गए परिवारों की संख्या 15,00,27,135 है। विवरण का लिंक इस प्रकार है: https://ejalshakti.gov.in/जेजेएमreport/जेजेएमIndia.aspx. जल जीवन मिशन के तहत अब तक आवंटित केंद्रीय निधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आहरित निधि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	राज्यों को आवंटित निधि (करोड़ रुपए में)	राज्यों द्वारा आहरित निधि (करोड़ रुपए में)
2019-20	11,139.21	9,951.81
2020-21	23,033.02	10,917.86
2021-22	92,308.77	40,009.77
2022-23	1,00,789.77	54,742.30
2023-24	1,32,936.83	69,885.01
2024-25*	69,926.68	12,592.17

*23.07.2024 की स्थिति के अनुसार

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएमजी) के अंतर्गत निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की कुल संख्या और आबंटित निधि निम्नानुसार है: -

वर्ष	**आवंटन (करोड़ रुपए में)**	**निर्मित आईएचएचएल**
2021-22	6000.00	22,41,460
2022-23	5000.00	27,30,416
2023-24	7000.00	38,99,215

(घ) खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस गांवों की जिला-वार संख्या https://Sbm.gov.in/SBMGdashboard/Districtdashboard.aspx लिंक पर उपलब्ध है।

(ङ) भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 में मार्च 2021 तक पांच वर्षों के लिए 20,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) शुरू किया और इसे 22,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है और *भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) हेतु वित्त वर्ष (एफवाई) 2014-15 से* 31 मार्च 2024 तक *कुल 16,737.02 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।* नमामि गंगे कार्यक्रम के

तहत, गंगा नदी की सफाई और कायाकल्प के लिए विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप किए गए हैं जिनमें अपशिष्ट जल शोधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तट प्रबंधन (घाट और शवदाहगृह), ई फ्लो (पर्यावरणीय प्रवाह) सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्वच्छता, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी आदि शामिल हैं। जून 2024 तक, 39,080.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 467 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 292 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और चालू हो गई हैं। कुल 467 परियोजनाओं में से, 200 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाएं 32,070.84 करोड़ रुपये की लागत से 6,217.15 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) क्षमता के निर्माण और बहाली तथा लगभग 5,282.39 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाने के लिए शुरू की गई हैं। इनमें से, 120 सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3,241.55 एमएलडी एसटीपी क्षमता का निर्माण और बहाली तथा 4,527.48 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया है।

नदी का व्यापक रूप से शोधन करने और जलीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

(i) एनएमसीजी ने नदी की सभी स्थानिक और लुप्तप्राय जैव विविधता की व्यवहार्य आबादी को बहाल करने के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) आदि जैसे विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के साथ भागीदारी की है ताकि वे अपनी पूर्ण ऐतिहासिक सीमा पर कब्जा कर सकें और गंगा नदी पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा सकें।

(ii) जलीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए भागीदार संगठनों हेतु कुल 17 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(iii) राज्य वन विभाग के सहयोग से छह बचाव और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए।

(iv) संरक्षण प्रयासों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए स्थानीय समुदायों से लगभग 5,000 प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, गंगा प्रहरी का एक कैडर बनाया गया है।

(v) जनसंख्या मानचित्रण और संकेतक प्रजातियों के वितरण के लिए गंगा नदी की मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियों के साथ नदी जैव विविधता की निगरानी की गई है।

(vi) मत्स्य प्रजातियों के सूचीकरण, उनके संरक्षण और चुनिंदा मत्स्य प्रजातियों के लिए मत्स्य स्टॉक में सुधार के साथ-साथ मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए पहल की गई है।

(vii) गंगा नदी के किनारे तटीय वनस्पतिजात और प्राणिजात विविधता का मानचित्रण।

इसके अलावा, 1 अप्रैल 2020 से एसबीएम (जी) का चरण- II शुरू किया गया है, जिसमें गांवों में ओडीएफ स्थिरता और एसएलडब्ल्यूएम अर्थात वर्ष 2024-25 तक गांवों को ओडीएफ प्लस (मॉडल) में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गंगा के तट पर बसे कुल 3,786 गांवों में से **3,681** गांवों को 22.7.2024 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस (उदीयमान*-**1,321,** उज्ज्वल**-**176** और उत्कृष्ट***-**2,184**) घोषित किया जा चुका है।

* वह गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए हुए है और जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है।

** गांव, जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए हुए है और जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है।

*** वह गांव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए हुए है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है, जो प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ दिखाई देते हैं, अर्थात जिनमें न्यूनतम गंदगी, न्यूनतम अपशिष्ट जल भराव और सर्वाजनिक स्थलों पर कूड़ा नहीं पड़ा है। जिनमें ओडीएफ प्लस आईईसी संदेश प्रदर्शित किए गए हैं।

*****